<u>अति महत्वपूर्ण/मानव सम्पदा पोर्टल</u>
<u>संख्या-238/सैतालीस-का-5-2024-(1788429)</u>

प्रेषक,

डॉ० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊ : 11-07-2024**

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 तथा शासनादेश संख्या-7/2024/489/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, दिनांक 06.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- शासनादेश दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिए गए थे कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर उसे प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 06.06.2024 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 30.06.2024 निर्धारित करते हुए चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी निर्गत किये गए हैं ।

3- मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी पोर्टल पर कुल पंजीकृत कार्मिकों के सापेक्ष अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या नगण्य है। यह स्थिति कदापि संतोषजनक नहीं कही जा सकती है ।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही चूंकि प्रथम बार की जा रही है, अतएव समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत कार्मिकों को एक अवसर और प्रदान करते हुए चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव आपसे अनुरोध है कि समस्त परिधिगत अधिकारियों / कार्मिकों को उपरोक्त निर्णय

के अनुपालन में समयबद्ध कार्यवाही हेतु स्वस्तर से निर्देशित करने तथा प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से विभागीय समीक्षा करते हुए उपरोक्त निर्देशों का सम्यान्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

प्रकरण अतयन्त महत्वपूर्ण है, अतः इसे प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

Signed by भवदीय,
Devesh Chaturvedi
(डा० देवेश चतुर्वेदी)
Date: 11-07-2024 11:11:44
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज / उत्तर प्रदेश अधीलस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ।
9. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ ।
10. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

Signed by Kuldeep Kumar Rastogi
Date: 11-07-2024 11:15:09